कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 691 / एक / तक. / 2001 भोपाल, दिनांक 20.03.2001

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः जिला कलेक्टरों द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन पर अवैध प्रतिबंध लगाने बावत्।

––0––

कृपया उपर्युक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक 252 / सात / 6 / 99 दिनांक 12.02.1999 तथा वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। इनमें स्पष्अ रूप से जिला कलेक्टरों को दस्तावेजों के पंजीयन पर अवैध रोक लगाने से मना किया गया है। तथापि कतिपय जिला कलेक्टरों द्वारा ऐसी रोक अभी भी लगाई जा रही है, जिससे शासन के राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड़ सके।

हाल ही में पंजीयन विभाग की आय की समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जिन जिलों में दस्तावेजों के पंजीयन पर किसी प्रकार तथ्य प्रकाश में आया है कि जिन जिलों में दस्तावेजों के पंजीयन पर किसी प्रकार की रोक लगाई गई है, वह राजस्व लक्ष्य में बहुत पीछे है। लगाई गई रोकों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधिकतर रोकें अवैध कालोनाईजेशन के रोकने के प्रयोजन से लगाई गई हैं।

पंजीयन अधिनियम, 1908 या किसी अन्य विशिष्ट अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो कलेक्टरों को उक्त प्रकार की रेाक लगाने में सक्षम बनाता हो। वैधानिक रूप से वह ऐसी रोक तभी लगा सकते हैं, जबकि संबंधित अधिनियम में उन्हें ऐसी शक्तियाँ प्रदत्त की गई हों। अतः उचित होगा कि वह बिना अधिकार के रोक लगाने के स्थान पर संबंधित अधिनियमों में संशोधन राज्य शासन को प्रस्तावित करें। न ही ऐसी रोक लगा देने में अवैध कालोनाईजेशन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है। लोग भूमि का कब्जा प्राप्त कर ऐसे दस्तावेजों से इसका अन्तरण करा लेते हैं, जिनका पंजीयन अनिवार्य नहीं है। किन्तु ऐसी रोकों का पंजीयन विभाग के राजस्व पर

निरंतर.....2

सीधा विपरीत प्रभाव पड़ता है। शासन उसे स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में मिलने वाले राजस्व से वंचित हो जाता है। साथ ही न्यायालय में प्रकरण आने पर शासन को नीचा देखना पड़ता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि कृपया दस्तावेजों की रजिस्ट्री पर कोई अवैध प्रतिबंध नहीं लगायें और वर्तमान में जिन जिला कलेक्टरों ने ऐसे प्रतिबन्ध लगाए हैं, उन्हें तत्काल वापिस लें।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / 692 / तक / तक. / 2001 भोपाल दिनांक 20.03.2001

प्रतिलिपि :

1 / निज–सचिव, माननीय वाणिज्यक कर मंत्री जी।
2 / प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यक कर विभाग,
3 / समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4 / समस्त जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

लेखावानी / 18301